(72)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 02 / 2020

दायरा दिनांक 18.02.2020

पीठासीन अधिकारी :— श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

चन्दालाल पुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी ख्यावदा तहसील किशनगंज जिला बांरा (राज)

— प्रार्थी

— बनाम—

1. छीतरलाल पुत्र लल्लू जाति सहरिया निवासी ख्यावदा तहसील किशनगंज जिला बांरा (राज)
2. ग्यारसी पुत्री लल्लू जाति सहरिया निवासी ख्यावदा तहसील किशनगंज जिला बांरा (राज)
3. नटी पुत्री लल्लू जाति सहरिया निवासी ख्यावदा तहसील किशनगंज जिला बांरा (राज)
4. मुखलेश पुत्री मांगीलाल जाति सहरिया निवासी ख्यावदा तहसील किशनगंज जिला बांरा (राज)
5. राजेश पुत्री मांगीलाल जाति सहरिया निवासी ख्यावदा तहसील किशनगंज जिला बांरा (राज)
6. मनोहरी पुत्री मांगीलाल जाति सहरिया निवासी ख्यावदा तहसील किशनगंज जिला बांरा (राज)
7. भरोसीबाई पत्नि मांगीलाल जाति सहरिया निवासी ख्यावदा तहसील किशनगंज जिला बांरा (राज)
8. आशाराम नाबालिग पुत्र मांगीलाल सहरिया जरिये वली माता खुद भरोसीबाई पत्नि मांगीलाल निवासी ख्यावदा तहसील किशनगंज जिला—बारां।
9. कलावती पुत्री मांगीलाल सहरिया जरिये वली माता खुद भरोसीबाई पत्नि मांगीलाल निवासी ख्यावदा तहसील किशनगंज जिला—बारां।
10. गुडडी पुत्री मांगीलाल सहरिया जरिये वली माता खुद भरोसीबाई पत्नि मांगीलाल निवासी ख्यावदा तहसील किशनगंज जिला—बारां।
11. देवलाल पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी ख्यावदा तहसील किशनगंज जिला बारां राज0
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां राज०

— अप्रार्थीगण

उपस्थित :—

श्री नरेश कुमार नागर :— अभिभाषक, प्रार्थी।

एक्सपार्टी :— अप्रार्थीगण ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू—राजस्व अधिनियम 1970 निरस्त किये जाने बाबत्।

निर्णय **दिनांक 27.05.2025**

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं अप्रार्थीगणों की तलबी की गई।

(73)

आराजी वांके ग्राम ख्यावदा की खाता संख्या नई 49 पुरानी 38 के खसरा नम्बर 245/342 रकबा 4.02 बीघा एवं ग्राम ख्यावदा की आराजी खाता संख्या नई 139 पुरानी 102,130 के खसरा नम्बर 246 रकबा 4.07 बीघा, खसरा नम्बर 339/375 रकबा 14 बीघा एवं ग्राम ख्यावदा की ही आराजी खाता संख्या नई 77 पुरानी 64 के खसरा नम्बर 245 रकबा 1.18 बीघा अवस्थित है, उक्त आराजियात को प्रार्थना पत्र में आगे चलकर विवादिद आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उक्त विवादित आराजी ग्राम ख्यावदा के खसरा नम्बर 245/342 रकबा 4.02 बीघा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के नाम दर्ज है एवं ग्राम ख्यावदा की खसरा नम्बर 246, 339/375 कुल रकबा 18.07 बीघा अप्रार्थी क्रम 4 ता 10 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम ख्यावदा की आराजी खसरा नम्बर 145 रकबा 1.18 बीघा अप्रार्थी क्रम 11 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त विवादितग्रस्त आराजियात पर अप्रार्थीगण 1 ता 11 के नाम गलत, अवैधानिक एवं विधी विरूद्ध रूप से आवंटन किया गया है तथा खातेदारी दर्ज की गई है जो निरस्त होने योग्य है।

उक्त विवादित आराजी पर आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी वक्त आवंटन मौके पर खाली भूमि नहीं थी, भूमि खाली नहीं होने व प्रार्थी का कब्जा बदस्तूर जारी रहने के बाद भी बिना प्रार्थी को सूचना दिये, बिना प्रार्थी को बेदखल किये, बिना नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा किये, बिना पूर्ण कोरम के अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण के नाम आवंटन कर दी गई। इस प्रकार का किया गया आवंटन विधी विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी उक्त विवादित आराजी पर आवंटन पूर्व से निरन्तर बेरोकटोक आज तक काबिज होकर फसलें करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण का न तो विवादित आराजी पर कभी कब्जा रहा है न ही उन्होंनें कभी किसी प्रकार से काश्त की है, वर्तमान में भी उक्त विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी काबिज काश्त होकर फसल कर रहा है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के नाम किये गये आवंटन को निरस्त व शून्य घोषित करवाकर आराजी को सिवायचक दर्ज करवाकर स्वयं के नाम नियमन करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। अप्रार्थीगणों के नाम किया गया आवंटन प्रपत्र की प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा उपखण्ड कार्यालय किशनगंज में आवेदन प्रस्तुत किया गया लेकिन उपखण्ड कार्यालय द्वारा अप्रार्थीगण के नाम की गई उक्त आराजी के आवंटन प्रपत्र का कोई रिकार्ड नहीं होना बताया गया और प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा जिला कलक्टर बारां रेकार्ड रूम से आवंटन प्रपत्र प्राप्त करने की सलाह दी गई इसके बाद प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.01.2020 को आवंटन प्रपत्र प्रतियां प्राप्त करने के जिला कलक्टर कार्यालय रेकार्ड रूम बारां में आवेदन प्रस्तुत किया जिला कलक्टर रेकार्ड रूम द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 06.01.2020 को इस आशय से खारिज कर दिया गया कि जमाशुदा रेकार्ड तलाश किया गया परन्तु जमा होना नही पाया गया (अप्राप्त) उक्त खारिज शुदा आवेदन प्रपत्र की प्रति प्रार्थी को 31.01.2020 को रिकार्ड द्वारा दी गई। उक्त विवादित आराजी के आवटंन प्रपत्र की किसी भी रेकार्ड रूम में कोई जानकारी नहीं होने से स्पष्ट होता है कि बिना आवंटन के आराजी को अप्रार्थीगणों के नाम किस आधार पर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी 40–45 वर्ष से निरन्तर निर्बाध रूप से विवादग्रस्त आराजी को काबिज काश्त करता आ रहा है। अस्तु अप्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी से अप्रार्थीगण का नाम निरस्त करवाकर आराजी सिवायचक दर्ज किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है।

दिनांक 25.12.2019 को अप्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थी को उक्त विवादित आराजी से जबरन बेदखल करने की धमकी देने व जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर प्रार्थी द्वारा हल्का पटवारी से विवादित आराजी की जानकारी करने पर विवादित आराजी अप्रार्थीगणों के खाते दर्ज होने की जानकारी मिली, इसके बाद प्रार्थी द्वारा आवंटन प्रपत्र की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने व आवेदन प्रपत्रों की प्रतियां प्राप्त नहीं होने व दिनांक 31.01.2020 को आवेदन पत्र खारिज होने की प्रति प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

(74)

रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 11 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी पर आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी वक्त आवंटन मौके पर खाली भूमि नहीं थी, भूमि खाली नहीं होने व प्रार्थी का कब्जा बदस्तूर जारी रहने के बाद भी बिना प्रार्थी को सूचना दिये, बिना प्रार्थी को बेदखल किये, बिना नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा किये, बिना पूर्ण कोरम के अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण के नाम आवंटन कर दी गई। इस प्रकार का किया गया आवंटन विधी विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्कों व बहस का अवलोकन कर मनन किया तथा पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी पर आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वक्त आवंटन मौके पर खाली भूमि नहीं थी, आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा। सदैव से प्रार्थी का ही कब्जा रहा है। परन्तु आवंटन से पूर्व प्रार्थी का कब्जा केवल अतिचारी का है चूंकि यह कानूनी कब्जा नहीं हैं। इसलिए सभी उद्देश्यों के लिए विवादित भूमि को आवंटन के लिए उपलब्ध मान लिया जाना चाहिए और उनके कब्जे को सुरक्षित नहीं किया जा सकता और भूमि के अतिचारियों को कोई राहत नहीं दी जा सकती। प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधि विरूद्ध किया गया हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू–राजस्व अधिनियम 1970 अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति पूर्ण कोरम होने से किया गया आवंटन ग्राम ख्यावदा के खसरा नम्बर 245/342 रकबा 4.02 बीघा अप्रार्थी क्रम 1 ता 3, एवं आराजी खसरा नम्बर 246, 339/375 कुल रकबा 18.07 बीघा अप्रार्थी क्रम 4 ता 10, इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 145 रकबा 1.18 बीघा अप्रार्थी क्रम 11 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से उक्त भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)